

राजस्थान सरकार  
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प. 3(8) वित्त/राजस्व/21

जयपुर, दिनांक:- 30 SEP 2021


आदेश

सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021 (जिसे इसके पश्चात् 'योजना' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), के बिन्दु संख्या 12.1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग द्वारा प्रसारित आदेश प.3(8)वित्त/राजस्व/21 दिनांक 22.04.2021 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन


1. उक्त योजना के बिन्दु संख्या 7.1 के (v) के पश्चात् बिन्दु संख्या (vi) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-  
(vi) संयुक्त शासन सचिव/निदेशक, संबंधित प्रशासनिक विभाग (देय सुविधाओं/रियायतों/छूट से संबंधित)
2. उक्त योजना के बिन्दु संख्या 7.2 के (v) के पश्चात् बिन्दु संख्या (vi) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-  
(vi) प्रमुख शासन सचिव, संबंधित प्रशासनिक विभाग (देय सुविधाओं/रियायतों/छूट से संबंधित)

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(टी.र.किरान्त)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।

  
संयुक्त शासन सचिव